गौमांस का मुद्दा गर्माने के बीच निगम परिषद का सम्मेलन आज

➡ स्लाटर हाउस के मामले पर हो सकती है चर्चा

भोपाल, 12 जनवरी. एक ट्रक से कथित तौर पर गौमांस जब्त होने और स्लाटर हाउस का मुद्दा गर्माने के बीच नगर निगम की परिषद का साधारण सम्मेलन मंगलवार को होगा, जिसमें इस मामले की अनुगूंज सुनाई देने की संभावना है.

सम्मेलन का एजेंडा आधिकारिक तौर पर पेयजल सप्लाई लाइन, सीवेज लाइन और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुददे बताए गए हैं, लेकिन इसमें गौमांस जब्त होने और स्लाटर हाउस से जुड़े सवाल भी सदस्यों की ओर से उठाए जाने की पूरी संभावना है. पीएचक्यू के पास से हिंदूवादी संगठनों के हस्तक्षेप के बाद एक ट्रक से 26 टन मांस पकड़ा गया था. इसके सैंपल की जांच में गौमांस पाए जाने के बाद से पिछले सप्ताह से यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इसे लेकर नगर निगम विपक्षी दलों के साथ ही सत्तारूढ़ दल और अन्य लोगों के निशाने पर आ गया है. जिंसी क्षेत्र में दो स्लाटर हाउस हैं. एक

जो वर्षों से संचालित हो रहा है और जिसे सिर्फ स्थानीय स्तर पर मांस की सप्लाई की परमिशन है. वहीं नए आधुनिक मशीनों से युक्त स्लाटर हाउस में तैयार किया जा रहा मांस शहर के बाहर ही नहीं, विदेशों में भी भेजने की जानकारी सामने आई है. संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि मामले में नगर निगम के अधिकारी, महापौर, एमआईसी सदस्य और स्वास्थ्य शाखा, सभी की मिलीभगत प्रतीत होती है. इस स्लाटर हाउस की फाइल को पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने अस्वीकृत कर दिया था. लेकिन मालती राय के महापौर बनते ही इस संबंध में अनुमति प्रदान कर दी गई. उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए.

स्लाटर हाउस को किया था सील

प्राप्त जानकारी के अनुसार मांस के सैंपल की जांच रिपोर्ट में गौमांस पाए जाने की पुष्टि के अगले दिन गुरुवार को स्लाटर हाउस सील कर दिया गया. स्लाटर हाउस के संचालन का ठेका लेने वाले असलम चमड़ा और उसके ट्रक चालक शादाब को गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया है.

नगर निगम के सदस्यों के अलावा तत्कालीन निगमायुक्त भी दोषी है, क्योंकि बिना परिषद में पास हुए सिर्फ एमआईसी सदस्यों, महापौर की मंजूरी पर अपर आयुक्त और निगमायुक्त ने बिना जानकारी के हस्ताक्षर कर दिए.

नसीम गफ्फूर, वार्ड 43 के पार्षद

स्लाटर हाउस के निर्माण संबंधित टेंडर के पास करने की प्रक्रिया एमआईसी सदस्यों और महापौर के द्वारा की गई. अगर इस टेंडर की फाइल परिषद में लाई जाती, तो वे सबसे पहले ही निरस्त कर देते. इस मामले में नगर निगम के पशु चिकित्सक बी पी गौर, अतिरिक्त आयुक्त स्वास्थ्य, एमआईसी मेंबर स्वास्थ्य आर के बघेल और महापौर की जवाबदेही बनती है.

किशन सूर्यवंशी, निगम अध्यक्ष

महापौर और महापौर परिषद सदस्य ने की थी शुरुआत

अत्याधुनिक मशीनों से युक्त स्लाटर हाउस की शुरुआत महापौर मालती राय और महापौर परिषद सदस्य आर के बघेल ने लगभग एक माह पहले किया है. महापौर के कार्यकाल में ही इस स्लाटर हाउस के निर्माण को स्वीकृति देने की बात का भी खुलासा हुआ है, जबकि पूर्व महापौर आलोक शर्मा के कार्यकाल में इस प्रस्ताव को रोक दिया गया था. शर्मा के बाद महापौर बनीं मालती राय के कार्यकाल में इस कत्लखाने की शुरुआत हुई और इसमें कथित रूप से गौवंश की हत्याओं के मामले के खुलासे के बाद नगर निगम प्रशासन अब बचाव की मुद्रा में ही नजर आ रहा है. स्लाटर हाउस से जुड़ी निविदाओं को स्वीकृति दिलाने में महापौर के अलावा स्वास्थ्य विभाग के एमआईसी सदस्य और एक संबंधित अतिरिक्त आयुक्त का नाम सामने आ रहा है.

जांच पूरी होने के बाद की जाएगी कार्रवाई

सैंपल स्लाटर हाउस से नहीं लिए गए हैं. यह सैंपल ट्रक से जब्त मांस के लिए गए हैं, इसलिए अभी जांच जारी है. पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई. उसके बाद ही हम कोई कार्रवाई कर सकेंगे.

संस्कृति जैन, आयुक्त, नगर निगम, भोपाल

प्रतिमा से छेड़छाड़ पर कार्रवाई की मांग

भोपाल. पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्रा से सोमवार को सर्व समाज प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने प्रतिमा से छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई की मांग की. पुलिस आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि प्रकरण में त्वरित जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. भाजपा के संस्थापक सदस्य स्व. कैलाश नारायण सारंग की प्रतिमा पर लगाए गए आवरण को जलाए जाने और प्रतिमा से छेड़छाड़ की घटना को लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई.

प्रदेशव्यापी वॉटर ऑडिट का ऐलान

विशेष संवाददाता

भोपाल. इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल के कारण 23 नागरिकों की दुखद मौतों की घटना को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पूरे प्रदेश के प्रत्येक वार्ड में 'वॉटर ऑडिट' कराने का निर्णय लिया है.

इस पहल के तहत सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल के दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बाणगंगा इलाके के वार्ड क्रमांक 25 का स्थल निरीक्षण किया. उनके साथ भोपाल शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना

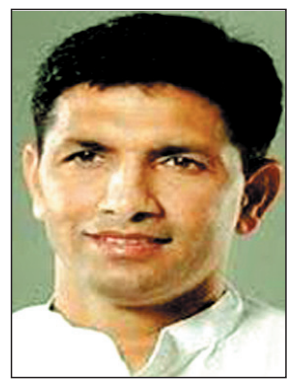

तथा नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शबीस्ता ज़की भी मौजूद रहीं. निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि पेयजल पाइप लाइन सीवर लाइन के समानांतर डाली गई है, जिससे नलों से कीड़े युक्त दूषित पानी आ रहा है.

इसके बाद नरेला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 75 से 79 और नवाब कॉलोनी सहित अन्य इलाकों का भी निरीक्षण किया गया, जहां स्थानीय लोगों ने दूषित पानी की शिकायत की. इस अवसर पर नरेला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मनोज शुक्ला भी उपस्थित रहे.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है, लेकिन भोपाल नगर निगम और भाजपा सरकार इस गंभीर जनस्वास्थ्य मुद्दे पर उदासीन बनी हुई है. उन्होंने कहा कि नागरिकों को स्वच्छ पेयजल मिलने तक कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा.

87 बंदियों की होगी रिहाई

जेल विभाग ने जारी किए आदेश

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 12 जनवरी. गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशभर की जेलों में बंद 87 बंदियों को रिहा किया जाएगा. इस संबंध में सोमवार को जेल विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया.

आदेशानुसार बंदियों की समय-पूर्व रिहाई के लिए प्रत्येक प्रकरण पर विधिक प्रावधानों, बंदियों के प्रकरण की पृष्ठभूमि तथा अन्य सुसंगत तथ्यों के आधार पर समग्र रूप से विचार करते हुए 87 दंडित बंदियों को समय पूर्व रिहाई के लिए पात्र और 394 दंडित बंदियों को समय-पूर्व रिहाई के लिए अपात्र पाया गया है. पात्र पाए गए 87 कैदियों को रिहा किया जाएगा और यह केंद्रीय जेल भोपाल, उज्जैन, सतना सहित अन्य जेलों में सजा काट रहे हैं.

बंदियों को रिहा करने की शर्तें: ऐसे बंदी जिनकी सजा के विरुद्ध अपील उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, उन्हें लंबित अपील का निराकरण 26 जनवरी, 2026 तक हो जाने की स्थिति में ही रिहाई की पात्रता होगी. ऐसे बंदी जिन्हें आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माने की भी सजा दी गई है और उनके द्वारा जुर्माना राशि 26 जनवरी तक जमा नहीं की जाती है तो उन्हें 26 जनवरी को आजीवन कारावास की सजा में रिहा किया जाकर जुर्माने की एवज की सजा भुगताए जाने हेतु रोका जाए.

पुलिस बैच 1997-98 का पारिवारिक मिलन समारोह

▶कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा हुए शामिल

500 सदस्य सपरिवार कार्यक्रम में सम्मिलित हुए

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 12 जनवरी. पुलिस बैच 1997-98 का पारिवारिक मिलन समारोह सोमवार को मानस भवन में संपन्न हुआ. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस आयुक्त भोपाल हरिनारायण चारी मिश्रा शामिल हुए.

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस उपायुक्त जोन-3 अभिनव चौकसे, अति.उपायुक्त पुलिस अनिल शर्मा उपस्थित रहे. आयोजन समिति के संयोजक रमेश यादव ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने बीते सालों के अनुभवों को साझा किया. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ विभाग के अधिकारी अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए. 1997-98 बैच के 120 पुलिस अधिकारी, कर्मचारी के लगभग 500 सदस्य सपरिवार सम्मिलित हुए.

पसंदीदा गीतों पर जमकर थिरके

कार्यक्रम के दौरान सभी ने अपने पसंदीदा गीतों पर जमकर थिरके. आयोजन में सह संयोजक सतीश शर्मा, होशियार सिंह,विजय सिंह नागवंशी,महेंद्र सिंह कुशवाहा,सुरेंद्र सिंह सोलंकी,दिलीप सिंह चंदेल,मनोज कुमार सिंह,पार्वती सोनी राजू सहित अधिकारी अपने परिवार के साथ मौजूद रहे.

चायनीज मांझा बेचने वाला दुकानदार गिरफ्तार

भोपाल. अयोध्या नगर थाना पुलिस ने चायनीज मांझा बेचने वाले एक दुकानदार को सोमवार को गिरफ्तार किया. मिनाल मॉल के पास किराना दुकान से चायनीज मांझा बेंचते हुए आरोपी दुकानदार को पकड़कर पुलिस ने कार्रवाई की. आरोपी की दुकान से पुलिस ने भारी मात्रा में जानलेवा मांझा जब्त किया है. बता दें कि लोगों के लिए जानलेवा खतरा बन चुके चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस कमिश्नर ने इसके प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं. इसके बावजूद भी कई दुकानदार चोरी छुपे मांझे को बेचने का अपराध कर रहे हैं.

अड़ीबाजी करने वाला बदमाश गिरफ्तार

भोपाल. टीला जमालपुरा पुलिस ने अड़ीबाजी करने वाले एक बदमाश को सोमवार को गिरफ्तार किया. बदमाश के पास से मिले धारदार हथियार को भी पुलिस ने बरामद किया है. फरियादी लक्की शर्मा (26) निवासी साहू मोहल्ला ने थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई. लक्की ने पुलिस को बताया कि रविवार को देर जब वह अपने एक दोस्त के साथ घर के बाहर खड़ा था. इसी दौरान मोहल्ले का बदमाश आर्यन पंथी आया और अड़ीबाजी करते हुए 5 हजार रुपये मांगे. लक्की ने जब आर्यन को पैसे देने से मना किया तो बदमाश ने लोहे के पाइप से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी. मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने बदमाश की तलाश शुरू की थी.

10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल बदला

भोपाल, 12 जनवरी. मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने साल 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का नया संशोधित टाइम टेबल जारी किया है.

इसमें 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं की तारीखों और कुछ विषयों के क्रम में बदलाव किया है. नई शेड्यूल के अनुसार, 10वीं कक्षा का हिंदी का पेपर, जो पहले 11 फरवरी को होना था, अब 6 मार्च को होगा. वहीं 12वीं के उर्दू और मराठी का पेपर, जो पहले 9 फरवरी को होना था, अब 6 मार्च को होगा. इसके अलावा 12वीं का हिंदी का पेपर 7 फरवरी की जगह 7 मार्च को होगा. परीक्षाएं सुबह 09.00 बजे से 12.00 बजे तक आयोजित होंगी. बोर्ड ने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूल विद्यार्थी-सूचना, प्रश्न-पत्र की तैयारी, विषय और समय में बदलाव को जल्द प्रसारित करें.

बोर्ड के नए टाइमटेबल के अनुसार, कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षाएं 10 फरवरी से प्रारंभ होंगी. पहली परीक्षा अंग्रेजी की होगी, इसके बाद 13 फरवरी को फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और व्यावसायिक विषयों की परीक्षा तय की गई है.

एनएसयूआई ने किया मौन प्रदर्शन

विशेष संवाददाता

भोपाल, 12 जनवरी. नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने सोमवार को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया.

पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के समक्ष गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण मौन प्रदर्शन किया. संगठन द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों पर हो रहे हमलों और शांतिपूर्ण आंदोलनों को दबाने की प्रवृत्ति के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध के रूप में ये प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर, काली पट्टी बांधकर और बिना किसी नारेबाजी के मौन रहे.

इस दौरान सत्य, अहिंसा और लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, यह संदेश दिया गया. साथ ही बढ़ती असहिष्णुता और प्रशासन की कथित दमनकारी कार्रवाइयों के विरोध में दो मिनट का मौन भी रखा गया. एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य सोनी ने कहा कि वरुण चौधरी की गिरफ्तारी किसी अपराध के तहत नहीं, बल्कि मनरेगा योजना और गरीबों के रोजगार के अधिकार की रक्षा के लिए चल रहे शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक आंदोलन के दौरान की गई, जो संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है.

तीन इंजीनियरों सहित 6 अफसरों पर गिरी गाज

भोपाल, 12 जनवरी. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में अनियमितता पाये जाने पर तीन उपयंत्रियों सहित संबंधित छह अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर वेतनवृद्धियां रोकी गई हैं. नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने नगर परिषद सोनकच्छ के अंतर्गत पाइपलाइन के कार्य में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत को सही पाये जाने पर उपयंत्री शिवानी गर्ग और ओमप्रकाश द्विवेदी की तीन वेतनवृद्धियां साथ ही उपयंत्री शशांक शाह की दो वेतनवृद्धियां रोक दी हैं.

30 हजार आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी करेंगे आंदोलन

भोपाल, 12 जनवरी. मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले 30 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी अब आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं.

संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपनी जायज मांगों को लेकर नौ फरवरी से चरणबद्ध आंदोलन करेगा. इसमें मेडिकल कॉलेजों से लेकर गांव के उप-स्वास्थ्य केंद्रों तक में कार्यरत वे कर्मचारी शामिल हैं, जो बरसों से स्थायी प्रकृति का काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा के लिए तरस रहे हैं. संघ का आरोप है कि शासन किसी पद के लिए 20 से 25 हजार रुपए स्वीकृत करता है, लेकिन ठेकेदारी प्रथा और प्रशासनिक कटौती के चलते कर्मचारी के हाथ में मात्र आठ से 12 हजार रुपए ही आते हैं. बढ़ती महंगाई के बीच जहां नियमित कर्मचारियों का डीए बढ़ता है, वहीं इन आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय बरसों से जस का तस बना हुआ है. संघ ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए छह चरणों में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है. पहला चरण (9-10 फरवरी) तक रहेगा.

दामाद ने ससुर पर किया जानलेवा हमला

भोपाल. कोलार थाना इलाके में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर उसके दामाद ने जानलेवा हमला कर दिया. हमले में घायल बुजुर्ग को परिवार के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने केस दर्ज करते हुए हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है. शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक सुनील को गिरफ्तार कर लिया. मिली जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश वर्मा (62) इलाके के गोंडीपुरा गांव में रहते हैं. उन्होंने अपनी बेटी की शादी करीब 6 साल पहले इसी गांव के रहने वाले सुनील से की थी. सुनील और उसकी पत्नी के दो बच्चे भी हैं.

हृदय की अत्यंत जटिल सर्जरी सफल

एम्स के डॉक्टरों ने किया सफल ऑपरेशन

भोपाल, 12 जनवरी. राजधानी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टरों ने एक बार फिर अपनी विशेषज्ञता का लोहा मनवाया है.

संस्थान के कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग ने एक 30 वर्षीय युवक के हृदय की अत्यंत जटिल सर्जरी कर उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया है.

होशंगाबाद निवासी यह मरीज पिछले छह महीनों से न केवल कमजोर दिल, बल्कि हार्ट अटैक, लकवा और किडनी की खराबी जैसी कई गंभीर बीमारियों से एक साथ जूझ रहा था. मरीज की स्थिति अत्यंत चिंताजनक थी. उसके हृदय के बाएं हिस्से में कई बड़े और गतिशील रक्त के थक्के मौजूद थे. ये थक्के इतने खतरनाक थे कि शरीर के किसी भी अंग की धमनी में फंसकर मृत्यु का कारण बन सकते थे.

प्रदर्शन स्लॉटर हाउस की गाड़ी में गोमांस की पुष्टि होने पर निगर निगम कार्यालय का घेराव

हिंदू संगठनों ने महापौर का पुतला फूंका

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 12 जनवरी. आईएसबीटी नगर निगम कार्यालय का हिंदू संगठनों ने सोमवार को घेराव किया.

निगम के स्लॉटर हाउस की गाड़ी में मिले मांस में गोमांस की पुष्टि होने पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारियों ने इस मौके महापौर मालती राय का पुतला फूंकते हुए उनके विरोध में नारेबाजी भी की. विरोध प्रदर्शन के बीच एसीपी अदिति वी सक्सेना की अगुवाई में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा. बजरंग दल, करणी सेना और आखिल भारतीय सर्वदलीय गौरक्षा महाअभियान समिति के कार्यकर्ताओं ने गौ हत्या का विरोध करते हुए सरकार से मामले में कार्रवाई की मांग की. हिन्दू संगठनों इस मौके पर निमग के स्लाटर हाउस के ठेकेदार असलम चमड़ा सहित अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. बजरंग दल के प्रांत मंत्री राकेश प्रजापति ने कहा कि प्रदेश की धरती पर गौवंश का खून नहीं बहने देंगे. सामने आए मामले में जो लोग भी दोष हैं, उनके खिलाफ सरकार और प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है.

उन्होंने कहा कि जल्द ही मामले में कठोर निर्णय नहीं लिया गया, तो व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हिन्दू संगठन की तरफ से किया जाएगा. इस मौके पर करणी सेना के महानगर अध्यक्ष कृष्ण पाल सिंह बुंदेला ने कहा कि गाय को हमारे देश में धार्मिक, सांस्कृतिक और परंपराओं में खास स्थान प्राप्त है. इसके बावजूद कई स्थानों पर गाय की अवैध हत्या और गौमांस तस्करी की घटनाएं सामने आ रही है. इसके चलते राजनीतिक तनाव पैदा होता है और कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है. गौरक्षा महाअभियान समिति के जिला अध्यक्ष गौरव मिश्रा ने कहा कि भोपाल की धरती गौमाताओं के रक्त से दूषित हुई है. यह हम सभी के लिए कलंक की बात है. उन्होंने कहा कि हम देश के किसी स्थान पर कत्लखाना नहीं चलने देंगे. राजा भोज की धरती पर अगर जल्द ही कत्लखाने बंद नहीं हुए तो समाज के लोग इस पर कठोर निर्णय लेंगे.

5 दिनों में पुलिस के सामने उपस्थित होंगे आरोपी

बता दें कि मामले में आरोपी असलम चमड़ा की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है. जहांगीराबाद थाना पुलिस ने असलम के दो सहयोगियों को भी नोटिस जारी किया है. दोनों आरोपी यूपी मुरादाबाद के निवासी हैं और दोनों को 5 दिनों में पुलिस के सामने उपस्थित होना होगा.

बिजली कंपनी के कर्मियों ने बड़े बकायादारों से किया संपर्क

31 जनवरी तक जारी रहेगी समाधान योजना

भोपाल/ भिण्ड, 12 जनवरी. मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के प्रथम चरण की अवधि अब 31 जनवरी 2026 कर दी गई है, जिससे अधिक से अधिक बकायादार उपभोक्ता योजना का लाभ ले सकें.

विगत दिनों महाप्रबंधक भिण्ड वृत्त अमरेश शुक्ला के नेतृत्व में संपर्क अभियान चलाया गया. इस दौरान बिजली कंपनी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा वितरण केन्द्र उमरी एवं भिंड शहर के बड़े बकायादार उपभोक्ताओं से संपर्क कर उन्हें समाधान योजना की जानकारी दी गई तथा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं बकाया राशि जमा करने के लिए बड़े बकायादार उपभोक्ताओं को प्रेरित किया. इस दौरान उनकी टीम ने डोर टू डोर संपर्क किया. शहरों की गलियों में पेम्पलेट तथा लाउडस्पीकर के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया. भिंड शहर एवं वितरण केन्द्र उमरी के अंतर्गत 2 लाख से अधिक की बकाया राशि के 72 उपभोक्ताओं से संपर्क किया एवं 28 बड़े बकायादारों के कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई की गई.